तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या–2

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार राज्य के वर्ष 2020–21 के लिए राजस्व प्रक्षेत्र पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत तैयार किये गये 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)–बिहार सरकार दिनांक 16 दिसंबर 2022 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 10 कंडिकाएँ, ''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड की वसूली एवं संग्रहण'' पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं ''संक्रमणकालीन क्रेडिट'' पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैः

अध्याय.Iः सामान्य

- वर्ष 2020–21 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,28,294.13 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹ 36,543.01 करोड़ (28.48 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 91,751.12 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 71.52 प्रतिशत) था।

(कंडिका 1.1)

- प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को बकाया राजस्व ₹ 3,180.63 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,056.31 करोड़ पाँच वर्षो से अधिक समय से लंबित था।

(कंडिका 1.2)

- लेखापरीक्षा ने 669 मामलों में कुल ₹ 486.29 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 679 मामलों में ₹ 187.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 164 मामलों में कुल ₹ 9.69 करोड़ की वसूली विभागों द्वारा प्रतिवेदित की गयी।

(कंडिका 1.5)

अध्याय.II : वाहनों पर कर

परिवहन विभाग के ''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण'' पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा जिसमें ''वाहन'' एवं ''सारथी'' सॉफ्टवेयर का डाटा विश्लेषण शामिल है, में निम्न उद्घाटित हुएः

- हैंड–हेल्ड डिवाइस द्वारा ई–चालान के माध्यम से वसूले गए ₹ 6.27 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किये गये। खाता/रोकड़ बही का रख–रखाव न करने के कारण सरकारी खाते में ₹ 7.03 करोड़ के प्रेषण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.6)

- ₹ 1.97 करोड़ मूल्य के 3,061 चालान अनियमित रूप से संशोधित किये गए और भुगतान नहीं किये गए जुर्माने में ₹ 90.96 लाख की कमी की गई।

(कंडिका 2.3.7)

- चूककर्त्ता वाहन मालिकों/चालकों को ₹ 24.17 करोड़ के 71,274 ई–चालान निर्गत किये गये परन्तु न तो उनके विरूद्ध न कोई कारवाई प्रारंभ की गई और न ही वाहन या दस्तावेजों की जब्ती के लिए कोई प्रयास किया गया।

(कंडिका 2.3.9)

- वाहन पर ₹ 9.33 करोड़ के जुर्माने से प्राप्तियाँ अनुचित शीर्ष में प्रेषित की गई जिससे सड़क सुरक्षा परिषद ₹ 93.30 लाख के सड़क सुरक्षा कोष के अपने हिस्से से वंचित रहा।

(कंडिका 2.3.12)

- वसूली गई कुल राशि का केवल 11.86 प्रतिशत ही आठ जिलों में नामित बैंक को डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया गया।

(कंडिका 2.3.14)

अध्याय–III: वाणिज्य–कर

वाणिज्य–कर विभाग के ''संक्रमणकालीन क्रेडिट'' पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्न उद्घाटित हुए:

- उचित अधिकारी ने वसूली के लिए देय ₹ 15.95 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

(कंडिका 3.3.6.1)

- दो अंचलों के दो करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ की स्रोत पर की गई कर कटौती का गलत दावा माल एवं सेवा कर ट्रान–1 में संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया।

(कंडिका 3.3.6.2)

- दो अंचलों के तीन करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान–1 में अंतिम भण्डार पर ₹ 1.58 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

(कंडिका 3.3.6.4)

लीगेसी मामले

- कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसाय बंद होने पर अंतिम भंडार पर ₹ 94.63 लाख का कर आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 3.4.1)

- कर–निर्धारण प्राधिकारी ₹ 3.51 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता लगाने मे विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4.2)

- कर–निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1.39 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित/अधिक दावों का पता लगाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4.4)

- कर–निर्धारण प्राधिकारी कर की गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.4.5)

अध्याय-IV: राजस्व एवं भूमि सुधार

- त्रुटिपूर्ण गणना का तरीका अपनाने के फलस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ तोषण का कम आरोपण हुआ, जिसके कारण 17 भू–स्वामियों को कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.1)

- गलत गणना किए जाने के कारण भू–स्वामियों को ₹ 8.60 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.2)

अध्याय-V: मुद्रांक एवं निबंधन फीस

- पाँच निबंधन प्राधिकारी, जून 2016 से अगस्त 2021 के दौरान निष्पादित नौ दस्तावेजों में भूमि के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.3)

- पत्थर के खनन पट्टे के गलत वर्गीकरण का पता लगाने में निबंधन अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.4)

इन विषयों पर अधिक सूचना के लिए कृपया निम्न पते पर हमें सम्पर्क करेः

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार का कार्यालय के प्रवक्ता	श्री आदर्श अग्रवाल उप महालेखाकार (प्रशासन) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
टेलीफोन नम्बर	0612–2221941 (का.),
फैक्स नम्बर	0612–2506223
मेल आईडी	agarwala2@cag.gov.in
हमारा वेबसाईट	**cag.gov.in/ag/bihar/hi**
मीडिया अधिकारी	श्री कुन्दन कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
मोबाईल नम्बर	9431624894